

I/204994/2025

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
ऊपरी गंगा बेसिन संगठन



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Office of Chief Engineer
Upper Ganga Basin Organization

सेवा में

श्री दिनेश चंद्र गंगवार,
ग्राम हरेली अलीपुर,
पोस्ट टिसुआ तहसील फरीदपुर,
बरेली 243506

विषय: श्री दिनेश चंद्र गंगवार की RTI application no CWCND/R/E/25/00122 dt 13/04/2025- के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त आवेदन जो इस कार्यालय में दिनांक 13.04.2025 को आरटीआई पोर्टल से प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वांछित जानकारी अधीनस्त कार्यालय से प्राप्त होने के उपरान्त संलग्न है ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब के खिलाफ प्रथम अपील, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस संगठन के प्रथम अपीलीय अधिकारी से किया जा सकता है। इस संगठन के प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री राजीव कुमार, मुख्य अभियंता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन केन्द्रीय जल अयोग, जाह्नवीसदन 21/496, इन्दिरा नगर, लखनऊ -226016(उ० प्र०) ई-मेल : ceugbo-cwc@nic.in दूरभाष स. 0522-2715832 हैं ।

संलग्न : यथोक्त

Signed by Shiv Sunder Singh भवदीय

Date: 09-05-2025 14:37:18

Reason: Approved

(शिव सुन्दर सिंह)
अधीक्षण अभियंता (समन्वय)
एवं सीपीआईओ

प्रति,

उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी (आरटीआई), जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।



I/204742/2025

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग

जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, देहरादून



Government of India

Ministry of Jal Shakti

Dept. of Water Resources, RD&GR

Central Water Commission

Hydrological Observation Circle, Dehradun

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता (समन्वय),

ऊपरी गंगा बेसिन संगठन,

केन्द्रीय जल आयोग,

लखनऊ |

विषय : आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत आर.टी.आई. आवेदन श्री दिनेश चंद्र गंगवार की RTI application no.

CWCND/R/E/25/00122 Dt. 13/04/2025 के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ : आपका पत्रांक : I-12011/32/2023-UGBO/I/202787/2025 दिनांक : 16/04/2025 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री दिनेश चंद्र गंगवार, ग्राम- hareili alipur, Post-tisua, Teh. Faridpur, Distic: Bareilly, Pin – 243506 से सम्बन्धित मांगी गई इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय मध्य गंगा मंडल-II, लखनऊ से सम्बन्धित जानकारी संलग्न कर सादर प्रेषित है |

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

Signed by Sudhir Kumar

Date: 07-05-2025 16:23:43

Reason: Approved (सुधीर कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता

156, वसंत विहार,
फेज-1, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2761562,
फैक्स-0135-2760631,
ई मेल: sehocdehradun-cwc@nic.in

जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य



156, Vasant Vihar,
Phase-1, Dehradun-248006
Tel: 0135-2761562,
Fax-0135-2760631
E-mail: sehocdehradun-cwc@nic.in

Conserve Water- Save Life



पत्रांक: 1/12/2016/स्था0-पी.क्यू.वी.आई.पी.आर.टी.आई/म0ग0म0-2/ 1382-83 दिनांक: 06/05/2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल
केन्द्रीय जल आयोग
देहरादून


विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका ई मेल दिनांक 06.05.2025 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में निम्न लिखित विवरण के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत Shri Dinesh Chandra gangwar, village- Hareli Alipur, Post-Tisua Tehsil faridpur, Bareilly, Uttar Pradesh, Pin: 243506 द्वारा वांछित सूचना निम्नवत है।

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	इस कार्यालय की सूचना
(1)	Contractor Shri Saurabh Walia is paying less wages in Bareilly, Surendraabad, Uttarakhand and is giving different amounts at all places, somewhere Rs. 5500, somewhere Rs. 6000, somewhere Rs. 6500. Despite this, all the bills of the contractor are being passed by the Executive Engineer, Shri Sarbjit Kumar Singh. Why excess.	सूचना की परिभाषा में "क्यों" प्रश्न का उत्तर शामिल नहीं किया जा सकता, जो किसी विशेष चीज़ के औचित्य के लिए कारण पूछने के समान होगा। अतः उक्त RTI का प्रतिउत्तर इस कार्यालय के द्वारा नहीं दिया जा सकता है।
(2)	Executive Engineer, Middle Ganga Division - 2. Shri Sarbjit Kumar Singh never took information from the support staff about the salary they were getting. On what basis are the bills of contractor Shri Saurag Walia being passed without the information and why? Explain with reason.	
(3)	Executive Engineer, Middle Ganga Division - 2, Shri Sarbjit Kumar Singh Has Shri Sarbjit Kumar Singh taken money from the contractor and why? Bills are being passed continuously by taking money. Why and on what basis is this being done Yes? Explain with reasons.	
(4)	Executive Engineer, Middle Ganga Division-2. Shri Sarbjit Kumar Sing has not yet taken the information of salary received by the support staff and their bank statements from	





	February 2024 till now, why and on what basis, please explain with 1 reason.	
(5)	Executive Engineer, Madhya Ganga Division-2. What percentage share did Shri Sarbjit Kumar Singh take from the contractor in the tender of 14 crores? Why and on what basis is he continuously exploiting the support staff in connivance with the contractor? Explain with reasons.	
(6)	In which act is the provision of 4 hours duty in Central Water Commission written, Executive Engineer Shri Sarbjit Kumar Singh, please provide a copy of that act to the applicant, if you cannot provide it then please explain with the reason.	

भवदीय,

(सर्वजीत कुमार सिंह)
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता(स.), ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ को सूचनार्थ (द्वारा अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।